न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 73/2019(जी.सी.एम.एस.2019/00166)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. मोतीराम पुत्र कोटूराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 2. भंवर लाल पुत्र दलीप चन्द्र जाति जाट निवासी 4 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 3. सुलतान राम पुत्र रेवन्त राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 4. रोशनी पत्नी चुन्नी लाल जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर	1. साहब राम पुत्र हजारी राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. पृथ्वी राम पुत्र हजारी राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. कलावती पत्नी हजारी राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. हरकोरी पत्नी पेमा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. कृष्ण लाल पुत्र पेमा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 6. महिन्द्र कुंमार पुत्र पेमा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 7. रामप्रकाश उर्फ रामप्रताप पुत्र पेमा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 8. आसाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 9. खींवशी राम खेताराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 10. रामप्रकाश पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 10/1 इन्द्रसैन पुत्र रामप्रकाश जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 11. देदा राम पुत्र जेसाराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक) 11/1 हरीशचन्द्र पुत्र देदा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक) 11/1/1 सन्तो पत्नी हरीचन्द्र पुत्र देदा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 11/1/2 दीपचन्द पुत्र हरीचन्द्र पुत्र देदा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 11/1/3 रघुवीर पुत्र हरीचन्द्र पुत्र देदा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 11/1/4 शैलेन्द्र पुत्र हरीचन्द्र पुत्र देदा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 11/2 गोपीराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक) 11/2/1 रेशमा देवी पत्नी गोपीराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 11/2/2 बन्सी लाल पुत्र गोपीराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 11/2/3 श्रीभगवान पुत्र गोपीराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 11/3 मनोहर लाल पुत्र देदा राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू: 11.09.2019

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण
2.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या5, 8, 11/1/2, 11/1/3

--निर्णय--

दिनांकः 30.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि 4 एफ सी, तहसील श्रीकरणपुर निजामत श्रीगंगानगर, राज श्री बीकानेर सम्वत 2001 सन् 1944-45, खेवट नंम्बर 13, खतौनी नं0 64/65 में मुरब्बा नं0 51 के किला नं0 1/2 के 18 बिस्वा, 2/2 के 18 बिस्वा, 3/2 के 18 बिस्वा, 4/2 के 18 बिस्वा, 5/2 के 18 बिस्वा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्रत्येक सालम सालम कुल 19 बीघा 10 बिस्वा व मुरब्बा नं0 47 के किला नं0 4 सालम, 5 के 18 बिस्वा, 6 के 18 बिस्वा, 7 सालम, 8 सालम, 13 सालम, 14 सालम, 15 के 18 बिस्वा, 16 के 18 बिस्वा, 17 सालम कुल 9 बीघा 12 बिस्वा नहरी रकबा वादीगण एवमं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व अभिलेख में संयुक्त खाता में दर्ज थी। भू-प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी चक 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रींगगानगर सम्वत 2027 से 2036 के क्रम संख्या 4 में मुरब्बा नं0 47 के किला नं0 4 सालम, 5 के 18 बिस्वा, 6 के 18 बिस्वा, 7 सालम, 8 सालम, 13 सालम, 14 सालम, 15 के 18 बिस्वा, 16 के 18 बिस्वा, 17 सालम कुल 9 बीघा 12 बिस्वा नहरी रकबा यानि 2.428 है0 नहरी कृषि भूमि आसा राम पुत्र खेता राम के नाम अलग से दर्ज हो गई। भू-प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी चक 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रींगगानगर सम्वत 2027 से 2036 के क्रम संख्या 15 में मुरब्बा नं0 51 के किला नं0 1/2 के 18 बिस्वा, 2/2 के 18 बिस्वा, 3/2 के 18 बिस्वा, 4/2 के 18 बिस्वा, 5/2 के 18 बिस्वा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्रत्येक सालम सालम कुल 19 बीघा 10 बिस्वा यानि 5.033 है0 नहरी कृषि भूमि खेता राम व देदा राम वगैरा के नाम अलग से दर्ज हो गई। वर्ष 1944-45 की जमाबन्दी के अनुसार मुरब्बा नं0 47 के किला न0 5, 6, 15, 16 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रकबा सिचाई खाला था। इस कारण राजस्व अभिलेख में उक्त किला नम्बर 5, 6, 15, 16 प्रत्येक 18-18 बिस्वा दर्ज थे। तत्कालीन जमाबन्दी में खाता योग के अन्त मे 8 बिस्वा गैर मुमकिन रकबा भी दर्ज था। मुरब्बा नं0 51 के किला नं0 1, 2, 3, 4, 5 में 2-2 बिस्वा सडक चालू हैं। इस कारण उक्त किला जात नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक 18-18 बिस्वा राजस्व अभिलेख में दर्ज थे। इस कारण मुरब्बा न0 51 के खाता का कुल योग 19 बीघा 10 बिस्वा नहरी बनता था। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख तैयार करते समय मुरब्बा 47 व 51 को अलग अलग खातो में इन्द्राज कर दिया गया। मुरब्बा नं0 47 में जो 8 बिस्वा गैर मुमकिन खाला का रकबा राजस्व अभिलेख में दर्ज था वह रकबा सहबन से उस दौरान मुरब्बा नं0 51 में दर्ज कर दिया गया, जबकि राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुरब्बा नं0 51 में कोई खाला दर्ज नही है। उक्त 8 बिस्वा गैर मुमकिन खाला मुरब्बा न0 51 में सहबन से दर्ज होने के कारण, उसके उपरान्त निरन्तर आज तक राजस्व अभिलेख में उक्त त्रुटि यथावत बनी हुई है। वर्तमान जमाबन्दी चक 4 एफ सी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 134/126 के मुरब्बा नं0 51 में 4.932 है0 नहरी कृषि भूमि के अलावा मुरब्बा नं0 83/25 में 0.101 है0 यानि 8 बिस्वा गैर मुमकिन खाला दर्ज है। जबकि उक्त कृषि भूमि में कभी कोई ऐसा खाला ना तो मौका पर कभी चालू रहा है और ना ही वर्तमान में विद्यमान है। भू-प्रबन्ध विभाग की त्रुटि के कारण वर्तमान राजस्व अभिलेख में खाता संख्या 134/126 के मुरब्बा नं0 83/25 में दर्ज 0.101 है0 गैरमुमकिन खाला का इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 05/04 में मुरब्बा नं0 47 के 2.428 है0 नहरी कृषि भूमि के साथ किया जाना चाहिये। उक्त त्रुटि का ज्ञान होने पर वादीगण ने सम्बन्धित समस्त अभिलेख हासिल कर अवलोकन किया तो पता चला कि भू- प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख तैयार करते समय सहबन से उक्त रकबा मुरब्बा नं0 47 के स्थान पर मुरब्बा नं0 51 में जोड दिया गया है। मुरब्बा नं0 51 की कृषि भूमि वर्तमान में संयुक्त खाता में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। संयुक्त खाता की कृषि भूमि होने के कारण वादीगण को कई परेशानियो का सामना करना पडता है। इस कारण वादीगण अपने अपने रकबा को शेष सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाना चाहते है। आज से दो रोज पूर्व वादीगण प्रतिवादीगण से मिले व राजस्व अभिलेख में हुई त्रुटि को संशोधित करवाने एवमं किलावाईज विभाजन सहमति के आधारं पर करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर, वादीगण के पक्ष में एवम प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे:- चक 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 134/126 के मुरब्बा 83/25 में दर्ज 0.101 है0 गैरमुमकिन खाला को उक्त खाता से हटाकर, खाता संख्या 05/04 में मुरब्बा नं0 47 के 2.428 है0 रकबा के साथ जोड़े जाने के आदेश प्रदान करते हुये उक्त आशय का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। चक 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 134/126 के मुरब्बा नं0 51 की कुल 4.932 है0 नहरी कृषि भूमि का वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार, शेष सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाया जाकर, राजस्व अभिलेख में किलावाईज कृषि भूमि वादीगण प्रत्येक के नाम अलग अलग दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 8, 11/1/2, 11/1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी ने उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10/1, 11/1/1, 11/1/3, 11/2/1, 11/2/2, 11/2/3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी संख्या 5, 8, 11/1/2, 11/1/3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार खाता संख्या 64/65 सम्वत 2001 का विवरण त्रुटि पूर्ण रूप से दर्ज किया गया होने से स्वीकार नहीं है। चक 4 एफ सी के मुरब्बा नम्बर 47 की 2.428 हेक्टैयर नहरी भूमि मुझ प्रतिवादी संख्या 8 के नाम अलग खाता में दर्ज हो चुकी है। यह विभाजन तत्कालीन सह-खातेदारान के द्वारा विभाजन कर खाता अलग कायम किये जाने की प्रार्थना पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया है। वादाधीन कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों क्रमशः जैसा, रेवन्त, व कोडू के नाम चक 4 एफ सी के मुरब्बा नम्बर 47 की 9 बीघा 12 बिस्वा नहरी, मुरब्बा नम्बर 541 की 19 बीघा 10 बिस्वा नहरी तथा मुरब्बा नम्बर 83/25 की 8 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 29 बीघा 10 बिस्वा मय खाला बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/3 हिस्सा दर्ज कागजात माल थी। कालान्तर में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त मुश्तर्का खाता में से मुरब्बा नम्बर 47 की भूमि पृथक कर जैसा राम का शेष 4-2/3 हिस्सा उसी मूल खाता अर्थात मुरब्बा नम्बर 51 के साथ ही रहने दिया गया, जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम से आ चुका है। हम प्रतिवादीगण अर्थात प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 0.001 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 0.006 प्रतिवादी संख्या 11/1/2 के नाम तथा 11/1/3 के नाम भूमि दर्ज है। प्रतिवादीगण उक्त हिस्सा किलावाईज विभाजन करवा कर अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है, जिनका किलावाईज विभाजन किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहता है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमावंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 134/126 के मुरब्बा नम्बर 51,83/25 की कुल 5.033 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 5/4 के मुरब्बा नम्बर 11, 12, 47, 83/37 की कुल 5.160 हेक्टैयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा में भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5, 8, 11/1/2, 11/1/3 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे व खाता सख्या 134/126 के मुरब्बा नम्बर 83/25 की 0.101 हेक्टैयर गैरममुकिन खाला भूमि के संबध में मौका रिपोर्ट भिजवावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 2695 दिनांक 20.08.2024 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 8 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 8 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 134/126 के मुरब्बा नम्बर 51,83/25 की कुल 5.033 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 5/4 के मुरब्बा नम्बर 11, 12, 47, 83/37 की कुल 5.160 हेक्टैयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
	मोतीराम पुत्र कोटूराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (2.487 हैक्टेयर) भंवर लाल पुत्र दलीप चन्द्र जाति जाट निवासी 4 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.829 हैक्टेयर) सुलतान राम पुत्र रेवन्त राम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.829 हैक्टेयर) रोशनी पत्नी चुन्नी लाल जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.829 हैक्टेयर)	4 एफ सी	51	1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6 ता 20	0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 3.795 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.57 1.57 1.57 1.58 1.58 26.25
2	आसाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (5.160 हैक्टेयर)	4 एफ सी	11	13, 14 15 16 17,18 19/1	0.506 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	3.50 1.58 1.58 3.50 0.88
			12	1 2 ता 4 5/1	0.228 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	1.58 5.25 0.87
			47	4 5 6 7,8 13,14 15 16 17	0.253 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.75 1.57 1.57 3.50 3.50 1.58 1.58 1.75
			83/41 83/25		0.025 हैक्टेयर 0.101 हैक्टेयर	गै.मु.खा. गै.मु.खा.	0.00 0.00

पखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर